

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

नं0 52]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 25 दिसम्बर, 2007 (4 पौष, 1929 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक

भाग-1

विषय वस्तु

अधिनियम

कुछ नहीं

भाग-II

अध्यादेश

कुछ नहीं

भाग-111

प्रत्यायोजित विधान

अधिसूचना संख्या का० आ० 123/ह० अ० 16/1994/घा० 32/ 2007, दिनांक 19 दिसम्बर, 2007, हरियाणा नगर निगम निर्वाचन

(संशोधन) नियम, 2007

1075---1134

पुष्ट

(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)

भाग - IV शुद्धि पर्चियां, पुन: प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं

Price: Rs. 5.00

(cxxxvi)

भाग III

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 दिसम्बर, 2007

- ✓ संख्या का० आ० 123/ह० अ० 16/1994/घा० 32/2007.—हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16), की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—
 - 1. ये नियम हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2007, कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है), नियम 8 में, "प्रथम श्रेणी के मिलस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर, "राजपित्रत अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
 - 3. उक्त नियमों में, नियम 15 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात :--
- "15क. अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचकों के लिए पहचान पत्र.—नतदान के समय निर्वाचकों का प्रतिरूपण रोकने के लिये तथा उनकी पहचान को सुकर बनाने की दृष्टि से, राज्य निर्वाचन आयोग, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को जारी पहचान पत्रों को राज्य में नगर निगम के चुनावों में अपनाने बारे निर्देश दे सकता है और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में नियमों, हिदायतों और किए गए आदेशों के उपबंध ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाएं, निर्वाचकों को नगर निगम चुनाव के मतदान के समय प्रस्तृत करने के लिए लागू होंगे।"।
- 4. उक्त नियमों में, नियम 21 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (iv) तथा (v) का लोप कर दिया जाएगा।
 - 5. उक्त नियमों में, नियम 24 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :--
- "24क. नामांकन पत्र देते समय दायर किये जाने वाले शपथ पत्र का प्ररूप.—उम्मीदवार उसका प्रस्तावकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, नियम 24 के उप-नियम (1) के अधीन रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र देते समय या नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि को 10 बजे से पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रथम श्रेणी मिलस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा ली गई शपथ का शपथ-पत्र भी दिया जाएगा।"।
- 6. उक्त नियमों में, नियम 25 में, उप नियम (1) में, विद्यमान तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''तालिका

यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का सदस्य या महिला नहीं है।	यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का सदस्य या महिला है।
. 11	2
3,000/- रुपये	1,500/- रुपये

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार ने उसी वार्ड में निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र दायर किए हैं, वहां इस उप-नियम के अधीन उसको एक से अधिक निक्षेप अपेक्षित नहीं होगा।"।

- 7. उक्त नियमों में, नियम 28 में, उप-नियम (6) तथा (7) का लोप कर दिया जाएगा।
- 8. उक्त नियमों में, नियम 40 के बाद, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :---

"40क. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति.—निर्वाचन के समय कोई उम्मीदवार प्ररूप 2क में निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति का नोटिस रिटर्निंग अधिकारी को दोहरी प्रति में उसे संप्रेषित करते हुए दिया जाएगा, जो इसकी एक प्रति पर अपनी मोहर लगाकर तथा हस्ताक्षर करके नियुक्ति का अनुमोदन करके निर्वाचन अभिकर्ता को लौटाएगा।

- 40ख. मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति.—(1) चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता जिस वार्ड से वह उम्मीदवार है, के मतों की गणना के समय प्रत्येक गणना मेज के स्थान या प्रत्येक स्थानों जहां पर गणना नियत की गई है पर केवल एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है जो उस वार्ड की गणना के समय उसके अभिकर्ता के रूप में उपस्थित रहेगा।
- (2) प्रत्येक गणना अभिकर्ता को नियुक्ति प्ररूप 2ख में की जाएगी और जहां पर मतगणना मतदान केन्द्र पर की जाएगी वहां पर उसकी प्रति पीटासीन अधिकारी को भेजी जाएगी और यदि जहां पर वार्ड के सभी मतदान केन्द्रों की गणना एक स्थान पर की जाएगी, वहां पर रिटर्निंग अधिकारी को भेजी जाएगी। इसकी दूसरी प्रति गणना अभिकर्ता को पीटासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत करने के लिए मतगणना के लिए नियत समय से एक घण्टा पूर्व दी जाएगी।
- (3) किसी भी गणना अभिकर्ता को गणना के लिए नियत स्थान पर तब तक प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा जब तक वह पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को उपनियम (2) के अधीन अपनी नियुक्ति की दूसरी प्रति पूर्ण रूप से भरने तथा उसमें दी गई घोषणा को हस्ताक्षर करने के पश्चात् प्रस्तुत न कर दें और पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी से गणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश के लिए प्राधिकार प्राप्त न कर लिया हो। "।
 - 9. उक्त नियमों में, नियम 50 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा.

अर्थात् :---

"50. मतपत्रों पर चिहिनत करके या मतदान मशीनों से मतदान.—मतदान मतपत्रों पर चिहिनत करके या मतदान मशीनों द्वारा मतदान देते हुए तथा अभिलिखित करते हुए दिया जाएगा, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे।

व्याख्या.—इस नियम के प्रयोजन के लिए "वोटिंग मशीन" से अभिप्राय है, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में मत डालने या अभिलिखित करने तथा किसी मतपेटी या मतपत्र के संबंध में प्रयुक्त कोई मशीन या यंत्र चाहे इलैक्ट्रोनिक रूप से या अन्यथा परिचालित है, का यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, वही अर्थ होगा जो ऐसी वोटिंग मशीन के संबंध में सम्मिलित है जहाँ कहीं ऐसी वोटिंग मशीन किसी निर्वाचन में प्रयुक्त की जाती है।"।

10. उक्त नियमों में, नियम 70 के बाद, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"70क. मतदान मशीनों द्वारा मतदान और मतगणना.—जहां पर मतदान मशीन उपयोग में लाई गई है वहां मतदान और मतों की गणना, निर्वाचन के कागज पत्रों इत्यादि की अभिरक्षा, निरीक्षण और निस्तारण के सम्बन्ध में नियम 36, 37, 39, 41, 44, 46, 51क, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 66 और 67 के सिवाय भाग-III तथा IV में नियमों के उपबंध जहां तक हो सके यथावश्यक परिवर्तनों सिहत लागू होंगे और मतपत्रों के सम्बन्ध में उन उपबंधों के किसी प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार लगाया जायेगा मानो उसके अन्तर्गत ऐसी इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीन के प्रति निर्देश हैं।

70ख. मतदान केन्द्र पर व्यवस्था.—(1) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित प्रदर्शित किये जाथेंगे—

- (क) उस मतदान क्षेत्र को जिसके मतदाता मतदान केन्द्र पर मत डालने के हकदार हैं विनिर्दिष्ट करने वाली हिन्दी में सूचना; और
- (ख) हिन्दी में दूसरी सूचना जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार का नाम और नियम 31 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची उसी क्रम में हो जिसमें प्रकाशित हुई है इसके साथ-साथ चिह्न का विवरण जो नियम 30 के अधीन प्रत्येक उम्मीदवार को दिया गया है।
- (2) प्रत्येक मतदान केन्द्र में एक या अधिक मतदान कक्ष स्थापित किये जायेंगे, जिनमें मतदाता संप्रेक्षित हुए बिना अपना मत दे सकेंगे।
- (3) रिटर्निंग अधिकारी, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीन, निर्वाचक नामावली के सुसंगत भागों की प्रतियां और ऐसी अन्य वस्तुएं और सामग्री की, जो मतदाताओं द्वारा मतदान कराने के लिए आवश्यक हो, व्यवस्था करायेगा।
- (4) जहां कोई मतदान केन्द्र पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए हो, वहां पीठासीन अधिकारी निर्देश दे सकेगा कि पुरुषों और महिलाओं के लिए पृथक्-पृथक् कतारें होंगी और उन्हें मतदान केन्द्र में पृथक्-पृथक् समूहों में बारी-बारी से प्रवेश करने दिया जायेगा।

70ग. इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का परिकल्प.—प्रत्येक इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीन (जिसे, इसमें, इसके पश्चात्, मतदान मशीन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में एक नियंत्रण यूनिट और एक मतदान यूनिट होगी और वह ऐसे परिकल्प की होगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये।

70घ. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान मशीन का तैयार किया जाना.—नियम 37 के उपबंधों के अध्यधीन रिटर्निंग अधिकारी—

- (क) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों और उनके चिह्नों को अंतर्विष्ट करने वाला मतपत्र मतदान यूनिट में लगायेगा और उस यूनिट को, अपनी मुद्रा से और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या वहां उपस्थित उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की मुद्राओं से, जो उस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्रांकित करेगा;
- (ख) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या व्यवस्थित करेगा और उम्मीदवार सेट अनुभाग को नियंत्रण यूनिट में बंद करेगा और उसे, अपनी मुद्रा से ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या वहां उपस्थित उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की मुद्रा से, जो उन पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्रांकित करेगा।

70 इ. मतदान के लिए मतदान मशीन का तैयार किया जाना.—(1) मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए पीठासीन अधिकारी पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा और उस पर, उपस्थित उम्मीदवारों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करायेगा, जो उन्हें अंकित करने की इच्छा रखते हों।

- (2) पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् इस प्रकार हस्ताक्षरित पेपर सील को मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट में उसके लिए बने स्थान में लगायेगा और उसे सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित करेगा।
- (3) मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए उपयोग में लायी गई सील ऐसी रीति में लगायी जायेगी कि यूनिट को सीलबंद किये जाने के पश्चात् सील को तोड़े बिना "परिणाम बटन" को दबाना संभव न हो।
- (4) मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन की प्रत्येक नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट के भीतर और बाहर दोनों तरफ एक ऐसा लेबल लगा हो जिस पर—
 - (क) वार्ड संख्या और नगर निगम का नाम;
 - (खं) मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम;
 - (ग) यूनिट की क्रम संख्या; और
 - (घ) मतदान की तिथि

चिहिनत होगा या होगी।

(5) मतदान प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व पीठांसीन अधिकारी, उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं

HARYANA GOVT. GAZ., DEC. 25, 2007 (PAUS. 4, 1929 SAKA)

और अन्य व्यक्तियों को यह प्रदर्शित करेगा कि मतदान मशीन में पहले से कोई भी मत दर्ज नहीं किया गया है और उस पर उप-नियम (4) में यथा निर्दिष्ट लेबल लगे हुए हैं।

(6) तब नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद किया जायेगा, उस पर सील लगायी जायेगी और इस प्रकार रखा जायेगा कि वह पीठासीन अधिकारी और उपस्थित उम्मीदवारों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और मतदान अभिकर्ताओं को पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर रहे और मतदान यूनिट को मतदान कक्ष में रखा जायेगा।

70च. मतपत्र का प्ररूप.—(1) प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

- (2) उम्मीदवारों के नाम मतपत्र पर उसी रीति में दर्शित किये जायेंगे और उसी क्रम में जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में दर्ज हैं लिखे जायेंगे।
 - (3) मतपत्र पर विशिष्टियां हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी।
 - (4) मतपत्र क्रमानुसार संख्यांकित होंगे।
- (5) नियम 30 के अधीन उम्मीदवारों को आबंटित प्रतीक को, मतपत्र पर उम्मीदवार के नाम के संपार्श्व में, दर्शित किया जायेगा।
 - (6) मतपत्र पर प्रत्येक उम्मीदवार को आबंटित स्थान एक जैसे आकार का होगा।
- (7) यदि दो या दो से अधिक उग्भीदवारों का एक ही नाम हो तो उन्हें, उनकी उपजीविका या निवास स्थान को जोड़कर या किसी अन्य रीति में उनको सुभिन्न किया जायेगा।

70छ. मतदान मशीन द्वारा मतदान की प्रक्रिया.—(1) किसी मतदाता को मत देने की अनुज्ञा देने से पूर्व मतदान अधिकारी—

- (क) मतदाता का निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो मतदाता रिजरटर में प्ररूप 11 में निर्वाचक नामावली की चिहिनत प्रति में प्रविष्ट है, अभिलिखित करेगा;
- (ख) उक्त मतदाता रिजस्टर में उस मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप अभिप्राप्त करेगा;
- (ग) मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे मतदान करने की अनुज्ञा दी गयी है:

परन्तु किसी मतदाता को तब तक मतदान नहीं करने दिया जायेगा जब तक कि उसने मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर न किये हो या अंगूठे की छाप नहीं लगायी हो।

(2) (क) किसी मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञा देने से पूर्व पीठासीन अधिकारी मतदाता की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही से विहन लगायेगा :

परन्तु जहां मतदाता की बार्यी तर्जनी पर पहले से ही ऐसा चिह्न विद्यमान हो

वहां यह समझा जायेगा कि उसने निर्वाचन में पहले ही अपना मत डाल दिया है और उसे मत देने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी:

परन्तु यह और कि किसी मतदाता को मत देने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह अपनी बार्यी तर्जनी पर अमिट स्याही से चिहन नहीं लगाने देगा।

- (ख) इस उप-नियम के खण्ड (क) में, किसी मतदाता की बायीं तर्जनी के किसी प्रति निर्देश का उस दशा में जिसमें मतदाता की बायीं तर्जनी नहीं हो ऐसे अर्थ लगाया जायेगा मानो वह उसके बायें हाथ की किसी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश है और उस दशा में जहां उसके बायें हाथ की सभी अंगुलियां नहीं हों वहां ऐसे अर्थ लगाया जायेगा मानो वह उसके दाहिने हाथ की तर्जनी के प्रति निर्देश है और यदि उसके दोनों हाथों की सभी अंगुलियां नहीं है वहां, ऐसे अर्थ लगाया जायेगा मानो वह उसकी बायीं या दायीं भुजा के ऐसे अग्रतम भाग के प्रति निर्देश हो जैसा कि उसका है।
- (3) किसी भी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह मतदाता रजिस्टर में मतदाता के अंगूठे की छाप को अनुप्रमाणित करे।

70ज. मतदान की प्रक्रिया और मतदान की गोपनीयता.—(1) प्रत्येक मतदाता जिसे नियम 70छ के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और उस प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

- (2) मतदान करने के लिए अनुज्ञात किये जाने पर मतदाता तुरन्त पीठासीन अधिकारी या मतदान मशीन की नियन्त्रण यूनिट के भारसाधक मतदान अधिकारी के पास जायेगा, जो नियंत्रण यूनिट पर समुचित बटन दबाकर मतदाता का मत अभिलिखित करने के लिए मतदान यूनिट को सक्रिय करेगा।
 - (3) मतदाता उसके पश्चात् तत्काल-
 - (क) मतदान कक्षों में से किसी एक में जायेगा;
 - (ख) उस उम्मीदवार के नाम और प्रतीक के सामने जिसे वह मत देने का आशय रखता है, मतदान यूनिट का बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा; और
 - (ग) मतदान कक्ष से बाहर आयेगा और मतदान केन्द्र से बाहर चला जायेगा।
 - (4) प्रत्येक मतदाता असम्यक् विलम्ब के बिना मत देगा।
- (5) जब मतदान कक्ष में कोई मतदाता है तब किसी अन्य मतदाता को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।

- (6) यदि कोई मतदाता जिसे नियम 70छ के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, उप-नियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए, पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी इंकार करे, तो पीठासीन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के निदेश के अधीन मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।
- (7) जहां उप-नियम (6) के अधीन किसी मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, तो वहां पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर से प्ररूप 11 में मतदाताओं के रजिस्टर में मतदाता के नाम के सामने इस आशय का टिप्पण लिखेगा कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है।
- 70झ. मतदान के दौरान मतदान कक्ष में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश करना.—(1) जब कभी पीठासीन अधिकारी, ऐसा करना आवश्यक समझे तब मतदान के दौरान मतदान कक्ष में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि मतदान यूनिट में किसी प्रकार से गड़बड़ या हस्तक्षेप नहीं किया जाये।
- (2) यदि पीठासीन अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण हो कि कोई मतदाता, जिसने मतदान कक्ष में प्रवेश किया है, किसी मतदान यूनिट में गड़बड़ कर रहा है या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप कर रहा है या मतदान कक्ष में असम्यक् लम्बी अवधि के लिए रहा है, तो वह मतदान कक्ष में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठायेगा जो मतदान की निर्विघ्न और व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।
- (3) जब कभी पीटासीन अधिकारी इस नियम के अधीन मतदान कक्ष में प्रवेश करे, तब वह उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसी वांछा करें तो अपने साथ जाने देगा।
- 70ज. अंधे या अशक्त मतदाताओं के मतों को अभिलिखित किया जाना.—(!) यदि पीठासीन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अंधापन या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण कोई मतदाता मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर उम्मीदवारों के नामों तथा प्रतीकों को पहचानने में या सहायता के बिना उसका समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता को अपनी ओर से और अपनी इच्छानुसार मत अभिलिखित करने के लिए, उसके साथ अठारह वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी मतदान कक्ष में ले जाने की अनुज्ञा देगा:

परन्तु किसी भी व्यक्ति को उसी दिन किसी भी मतदान केन्द्र में एक से अधिक मतदाताओं के साथी के रूप में कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी:

परन्तु यह और कि किसी भी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी भी दिन किसी मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने से पहले, यह घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह उस मतदाता की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी भी मतदान केन्द्र में किसी अन्य मतदाता के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है।

(2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन सभी मामलों का प्ररूप 4 में अभिलेख रखेगा। 70ट. मतदाता की पहचान.—िकसी मतदाता को मत देने की अनुज्ञा देने से पूर्व किसी भी समय, पीठासीन अधिकारी या मतदाान अधिकारी, यदि उसके पास उस मतदाता की पहचान या ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने के उसके अधिकार के बारे में संदेह करने का कारण हो, तो वह यदि किसी उम्मीदवार या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये जो मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछकर, जो वह आवश्यक समझे, अपना यह समाधान कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बन्धित है।

70ठ. निविदत्त मत.—(1) यदि कोई व्यक्ति अपने बारे में यह रूपित करके कि वह विशिष्ट मतदाता है ऐसे मतदाता के रूप में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिये जाने के पश्चात्, मत देना चाहता है, तो उसे अपनी पहचान के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाघानप्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसे पीठासीन अधिकारी पूछे, मतदान यूनिट के माध्यम से मत देने के लिए अनुज्ञात करने की बजाये एक निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किया जायेगा जो ऐसी डिजाइन का होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।

- (2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति किसी निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किये जाने के पहले अपना नाम प्ररूप 5 में सूची में उस से संबंधित प्रविष्टि के सामने लिखेगा।
 - (3) मतपत्र प्राप्त करने पर वह तुरन्त-
 - (क) मतदान कक्ष में जायेगा;
 - (ख) उस उम्मीदवार के प्रतीक पर या के निकट जिसे मत देने का उसका आशय है, उस प्रयोजन के लिए दिये गये उपकरण या वस्तु से मतपत्र पर क्रास चिह्न "X" लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा;
 - (ग) मतपत्र को इस प्रकार मोड़ेगा कि उसका मत छिप जाये;
 - (घ) पीठासीन अधिकारी को, यदि अपेक्षित हो तो, मतपत्र पर लगा सुभेदक चिह्न दिखायेगा;
 - (ङ) उसे पीठासीन अधिकारी को देगा जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफ़े में रखेगा; और
 - (च) मतदान केन्द्र से बाहर चला जायेगा।
- (4) यदि अंधेपन या शारीरिक अशक्तता के कारण ऐसा मतदाता सहायता के बिना अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है, तो पीठासीन अधिकारी मतदाता को उसकी इच्छानुसार मत अभिलिखित करने के लिए उन्हीं शर्तों के अध्यधीन तथा नियम 70छ में अधिकथित उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्, उसे अपने साथ एक साथी को ले जाने की अनुज्ञा देगा।

70ड. निर्वाचक का मत न देने का विनिश्चय करना.—यदि कोई मतदाता, उसका निर्वाचन नामावली संख्यांक प्ररूप 11 में मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाने और नियम 70छ के उप-नियम (1) के अधीन यथा अपेक्षित उस पर अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे की छाप लगाने के पश्चात् अपना मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करता है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्ररूप 11 में उक्त

प्रविष्टि के सामने इस आशय की टिप्पणी की जाएगी और मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त करेगा।

- 70 उ. निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारियों द्वारा मतदान.—(1) कोई निर्वाचक जो उस वार्ड से अन्यथा किसी एक में जिसमें वह मतदान करने का हकदार है, के मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी के रूप में या किसी अन्य हैसियत में निर्वाचन ड्यूटी पर लगाया गया है, और ऐसे किसी मतदान केन्द्र में मतदान करने का इच्छुक है जिसमें वह निर्वाचन ड्यूटी पर है तो वह रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप 10 में मतदान केन्द्र जिसमें वह ड्यूटी पर है, मतदान के लिए नियत किए गए दिनों से कम से कम दस दिन पूर्व उसे मतदान के लिए अनुज्ञात करने हेतु आवेदन करेगा तथा यदि रिटर्निंग अधिकारी की संतुष्टि हो जाती है कि आवेदक लोक सेवक है तथा मतदाता निर्वाचन ड्यूटी पर है तो वह—
 - (क) आवेदक को प्ररूप 12 में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाणपत्र जारी करेगा;
 - (ख) निर्वाचक नामावली की चिहिनत प्रति में उसके नाम के सामने, "निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र" यह उपदर्शित करने के लिए चिहिनत करेगा कि उसे निर्वाचन ड्यूटी प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है; तथा
 - (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता को उस मतदान केन्द्र पर, जहां वह मत देने के लिए अन्यथा हकदार होता, मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है।
 - (2) ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर पीठासीन अधिकारी,---
 - (क) उस पर, इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा;
 - (ख) उस प्रमाणपत्र में यथा उल्लिखित मतदान केन्द्र के नाम के साथ-साथ उस व्यक्ति का नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक और भाग संख्या होगी;
 और
 - (ग) उसे अपना मत, उसी रीति में जो उस मतदान केन्द्र पर गत देने के हकदार किसी मतदाता के लिए है, डालने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- (3) उप-नियम (2) के अधीन मत अभिलिखित करने के पश्चात्, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा लिफाफे में रखा जायेगा और सील बंद किया जायेगा।
- (4) कोई मतदाता जो एक से भिन्न वार्ड में जिसका वह मतदाता है पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी के रूप में या किसी अन्य हैसियत से निर्वाचन ड्यूटी पर लगाया गया है, जो निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) जिसमें वह मतदान के लिए नियत दिन से, कम से कम दस दिन पूर्व डाक मतपत्र भेजने के लिए नामित है के रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप 9 में आवेदन भेजेगा, तथा यदि रिटर्निंग अधिकारी की संतुष्टि हो जाती है कि आवेदक एक से भिन्न वार्ड में जिसका वह मतदाता है निर्वाचन ड्यूटी पर है, तो वह उसे निम्नलिखित के साथ डाक द्वारा, डाक प्रमाणित ऐसे वार्ड के डाक मतपत्र भेजेगा :—
 - (क) प्ररूप 13 में घोषणा;

- (ख) प्ररूप 14 में लिफाफा;
- (ग) प्ररूप 15 में बड़ा लिफाफा; और
- (घ) प्ररूप 16 में मतदाता के लिए अनुदेश, एक डाक-मतपत्र जारी करेगा :

परंतु रिटर्निंग अधिकारी उसी समय—

- (क) डाक मतपत्र के प्रतिपर्ण पर, मतदाता की निर्वाचक नामावली संख्यांक अभिलिखित करेगा जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में प्रविष्ट है;
- (ख) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में मतदाता का नाम यह उपदर्शित करने के लिए चिन्हित करेगा कि उसे डाक मतपत्र दिया गया है, तथापि वह उस मतदाता को दिये गये डाक मतपत्र की क्रम संख्यांक को उसमें अभिलिखित नहीं करेगा; और
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता, मतदान केन्द्र में मत देने के लिये अनुज्ञात नहीं किया गया है:

परंतु यह और कि प्रत्येक डाक मतपत्र के साथ एक प्रतिपर्ण संलग्न होगा और डाक मतपत्र तथा प्रतिपर्ण ऐसी डिजाइन में होगा जैसा राज्य निर्पाचन आयोग निर्देश दे:

परंतु यह और कि रिटर्निंग अधिकारी, चुनाव ड्यूटी पर मतदाता की दशा में जो डाक द्वारा मत देने का हकदार है, को मतपत्र और प्ररूप भेजेगा या व्यक्तिगत रूप में ऐसे मदतादाओं को भिजवाएगा।

- (5) रिटर्निंग अधिकारी, मतदाताओं को दिये गये डाक मतपत्रों के प्रतिपर्ण पृथक् पैकेट में सील बन्द करेगा।
 - (6) (क) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता, प्ररूप 16 में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुसार डाक मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा और फिर उसे प्ररूप 14 में लिफाफे में बंद करेगा:
 - (ख) मतदाता, प्ररूप 13 में घोषणा पर किसी भी राजपत्रित अधिकारी या उस मतदान केन्द्र जिसमें पर वह निर्वाचन ड्यूटी पर है, के पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेगा और उसके द्वारा हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करायेगा; और
 - (ग) मतदाता अपना मत अभिलिखित करने और प्ररूप 13 में घोषणा करने के पश्चात् वह डाक मतपत्र और घोषणा रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप 16 में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुसार लौटा देगा ताकि रिटर्निंग अधिकारी के पास मतगणना के प्रारम्भ के लिए नियत समय से पूर्व पहुंच जाये।
 - (7) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्र द्वारा मतदान के संबंध में, इस नियम के उपबंधों

के अध्यधीन ऐसी प्रक्रिया, अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

70ण. मतदान के बंद होने के पश्चात् मतदान मशीन का मुहरबंद करना.—(1) मतदान समाप्त होने के पश्चात्, यथासाध्य शीधता से, पीठासीन अधिकारी, यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण यूनिट को बंद कर देगा कि कोई और मतों का अभिलेखन नहीं किया जा सके और मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से वियोजित कर देगा।

- (2) नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को उसके पश्चात् मुद्राबंद करेगा और ऐसी रीति में अलग-अलग बंद करेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निदेश करें और उनको बंद करने के लिए प्रयुक्त मुद्रा इस प्रकार लगायी जायेगी कि मुद्राओं को तोड़े बिना यूनिटों को खोलना सम्भव नहीं होगा।
- (3) मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता या निर्वाचन अभिकर्ता या उम्मीदवार जो अपनी मुद्रा लगाने की इच्छा करते हों, ऐसा करने के लिए भी अनुज्ञात किये जायेंगे।

70त. मतदान सामग्री और अन्य कागज-पत्रों का मुहरबंद करना.— (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी, मतदान के बंद हो जाने के पश्चात् यथासाध्य शीधता से, किसी ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता, या मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित हों, की उपस्थिति में निम्नितिखित के पृथक-पृथक पैकेट बनायेगा और अपनी मुद्रा और ऐसे उम्मीदवारों या अभिकर्ताओं की मुद्राओं से, जो निम्नितिखित लिफाफों पर अपनी मुद्रा लगाना चाहें, मुद्रांकित करेगा :—

- (क) निर्याचक नामावली की चिहिनत प्रति ;
- (ख) निविदत्त मतपत्रों ;
- (ग) निविदत्त मतों की सूची ;
- (घ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची ;
- (ङ) ऐसे अधिकारियों द्वारा, जो निर्वाचन ड्यूटी पर हों, प्रस्तुत किये गये प्ररूप 12 में प्रमाणपत्र ;
- (च) प्ररूप 11 में मतदाता रजिस्टर ; और
- (छ) ऐसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित कोई अन्य कागज-पत्र जो मुद्राबंद पैकट में रखे जायें।
- (2) पीठासीन अधिकारी, सभी पैकेटों को मुद्राबंद करने के पश्चात्, ऐसे पैकेट पर उसकी अंतर्वस्तु का वर्णन पृष्ठांकित करेगा।

70थ. अभिलिखित मतों का लेखा.— (1) पीठासीन अधिकारी, मतदान के बंद होने पर प्ररूप 17 में अभिलिखित मतों का लेखा तैथार करेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी, अभिलिखित मतों का लेखा एक पृथक् लिफाफे में रखेगा और उस पर "अभिलिखित मतों का लेखा" शब्द पृष्ठांकित करेगा। 70द. रिटर्निंग अधिकारी को मतदान मशीन आदि का भेजना.— (1) पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी को—

- (i) मतदान मशीन ;
- (ii) प्ररूप 17 में अभिलिखित मतों का लेखा ;
- (iii) नियम 70ण के अधीन मुहरबंद पैकेट ; और
- (iv) मतदान में प्रयुक्त सभी अन्य कागज-पत्र,

ऐसे स्थान पर जैसा रिटर्निंग अधिकारी निर्दिष्ट करे भेजेगा या भिजवाएगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी, मतदान मशीन, पैकेटों और अन्य कागज-पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए और मतों की गणना होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजान करेगा।

70ध. मतदान की रथगन प्रक्रिया.—(1) यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान नियम 59 के अधीन स्थिगत तथा अमान्य घोषित कर दिया गया है तो इन नियमों के उपबन्ध प्रत्येक नये मतदान को इस प्रकार लागू होगी मानो ये वास्तविक मतदान को लागू हों।

70न. मतदान मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण.—(1) रिटर्निंग अधिकारी, एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर प्रयुक्त मतदान मशीनों की नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा और निरीक्षण करवा सकेगा और ऐसी यूनिटों में अभिलिखित मतों की साथ-साथ गणना करवा सकेगा।

- (2) इससे पहले कि किसी मतदान मशीन की किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतों की उपनियम (1) के अधीन गणना की जाती है, तो उम्मीदवार उसके निर्वायन अभिकर्ता या उसके गणना अभिकर्ता को, जो गणना पटल पर उपस्थित है पेपर सील तथा ऐसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं जो यूनिट पर लगी हों, का निरीक्षण करने के लिए और स्वयं की संतुष्टि करने के लिए कि मुद्रा अविकल है अनुज्ञात होगा।
- (3) रिटर्निंग अधिकारी स्वयं की संतुष्टि करेगा कि किसी भी मतदान मशीन में, वास्तव में, कोई गड़बड़ नहीं की गयी है।
- (4) यदि रिटर्निंग अधिकारी की संतुष्टि हो जाती है कि किसी भी मतदान मशीन में, वास्तव में, कोई गड़बड़ की गयी है, तो वह उस मशीन में अभिलिखित मतों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र के सम्बन्ध में, जहां उस मशीन का उपयोग किया गया था, नियम 59 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

70प. मतों की गणना.—(1) रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, की संतुष्टि हो जाने के पश्चात् कि मतदान मशीन में, वास्तव में, कोई गड़बड़ नहीं की गयी है, तो वह नियंत्रण यूनिट में लगे "परिणाम" चिन्हित उपयुक्त बटन को दबाकर उसमें अभिलिखित किये गये मतों की गणना करायेगा जिसके द्वारा कुल दिए गए मतों तथा प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये मत यूनिट में प्रयोजनों के लिए लगे हुए प्रदर्शन पैनल पर, प्रत्येक ऐसे उम्मीदवार के सम्बन्ध में, प्रदर्शित किए जायेंगे।

- (2) जैसे ही नियंत्रण यूनिट पर प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये मत प्रदर्शित किये जाते हैं रिटर्निंग अधिकारी—
 - (क) प्ररूप 17 के भाग-II में प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में पृथक् रूप में ऐसे मतों की संख्या, अभिलिखित करायेगा;
 - (ख) प्ररूप 17 का भाग-II अन्य सभी प्रकार से पूर्ण करवायेगा और पीठासीन अधिकारी या गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और उपस्थित उम्मीदवारों या उनके निर्वाचक अभिकर्ताओं या उनके गणना अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर करायेगा;
 - (ग) प्ररूप 8 में परिणाम-पत्र में तत्स्थानी प्रविष्टियां करायेगा और परिणाम-पत्र में इस प्रकार दर्ज विशिष्टियों की घोषणा करायेगा।
- (3) निविदत्त मतपत्रों वाले किसी लिफाफे को खोला नहीं जायेगा और ऐसे किसी भी मत की गणना नहीं की जायेगी।

70फ. मतों की गणना के पश्चात् मतदान मशीनों का मुद्राबंद किया जाना.—(1) किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतों का परिणाम उम्मीदवारवार अभिनिश्चित करने और नियम 70प के अधीन प्ररूप 17 और प्ररूप 8के भाग-II में दर्ज करने के पश्चात्, पीठासीन अधिकारी/ रिटर्निंग अधिकारी अपनी मुद्रा से और उपस्थित ऐसे उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, जो उस पर अपनी मुद्रा, लगाना चाहें, की मुद्रा से उस यूनिट को पुन: इस प्रकार मुद्राबंद करेगा ताकि उस यूनिट में अभिलिखित मतदान परिणाम मिटाया नहीं जा सके और यूनिट ऐसे परिणाम की स्मृति रख सकता है।

- (2) इस प्रकार मुद्राबंद की गयी नियंत्रण यूनिट विशेष रूप से तैयार किये गये बक्सों में रखी जायेगी जिस पर रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित विशिष्टियां अमिलिखित करेगा, अर्थात्—
 - (क) वार्ड संख्या सहित नगर निगम का नाम ;
 - (ख) मतदान केन्द्र की विशिष्टियां जहां नियंत्रण यूनिट उपयोग में लाया गया है ;
 - (ग) नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या ;
 - (घ) मतदान की तारीख ; और
 - (ङ) गणना की तारीख।

70ब. डाक मतपत्रों की गणना और उनको अस्वीकृत करना.—(1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिये गये साधारण या विशिष्ट निदेशों के अध्यधीन नियम 60 के उपबंध, नियम 70ढ के उप-नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्रों को अस्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में लागू होंगे:

परन्तु डाक मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा यदि उसमें मत, प्ररूप 16 में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुसार अभिलिखित नहीं किया गया है।

(2) रिटर्निंग अधिकारी डाक द्वारा प्राप्त मत, यदि कोई हों, की गणना का परिणाम प्ररूप 8 में, परिणाम-पत्र में, अभिलिखित करेगा और उसे घोषित करेगा।

70भ. निर्वाचन-पत्रों को पेश करना और निरीक्षण करना.—(1) जब,—

- (क) उनसे संलग्न प्रतिपर्णों के साथ अप्रयुक्त डाक मतपत्रों के पैकेट ;
- (ख) प्रयुक्त डाक मतपत्रों के, चाहे वे वैध हों, अस्वीकृत हो या रद्द किये हुए हों और उनके प्रतिपर्णों के पैकेट;
- (ग) प्रयुक्त या अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के पैकेट ;
- (घ) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के पैकेट ;
- (ङ) प्ररूप 11 में मतदाता रजिस्टर वाले पैकेट ; और
- (च) निर्वाचकों द्वारा की गयी घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकेट,

जपायुक्त की अभिरक्षा में हों तो वे किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना न तो खोले जायेंगे, न उनका निरीक्षण किया जायेगा या न उन्हें पेश किया जायेगा।

- (2) नियम 70फ के अधीन मुद्राबंद की गयी और उपायुक्त की अभिरक्षा में रखी गयी मतदान मशीन को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना खोला, निरीक्षित या पेश नहीं किया जायेगा।
- (3) ऐसी शर्तों और ऐसी फीस जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे के संदाय के अध्यधीन रहते हुए निर्वाचन से सम्बन्धित सभी अन्य कागज़-पत्र लोक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे और उनकी प्रतियां आवेदन करने पर दी जायेंगी।
- 70म. निर्वाचन कागज-पत्नों का निपटान.—राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निदेश के अध्यधीन,—
 - (क) अप्रयुक्त डाक मतपत्रों और निविदत्त मतपत्रों के पैकेटों को छह मास की अविध के लिए रखा जायेगा और तत्पश्चात् ऐसी रीति में, जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे नष्ट कर दिये जायेंगे;
 - (ख) नियम 70भ के उप-नियम (2) के अधीन उपायुक्त की अभिरक्षा में रखी गयी मतदान मशीनें, ऐसी अवधि के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे अविकल रखी जायेंगी:
 - (ग) नियम 70भ के उप-नियम (1) में यथा निर्दिष्ट से भिन्न अन्य पैकेट एक वर्ष की अवधि के लिए रखे जायेंगे और तत्पश्चात् नष्ट कर दिये जायेंगे :

परन्तु उन पैकेटों को, जिनमें प्रयुक्त डाक मतपत्रों के प्रतिपर्ण हों, राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नष्ट नहीं किया जायेगा ; और

(घ) निर्वाचन से सम्बन्धित सभी अन्य कागज-पत्र ऐसी अवधि के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे रखे जायेंगे।

11. उक्त नियमों में, प्ररूप 2 के बाद, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"प्ररूप 2क

[देखिए नियम 40क]

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

नगर निगम	à*	वार्ड	से	सदस्य का निर्वाचन
सेवा में				
	रिटर्निंग अधिकारी,	187		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	R. T.			
	PASSE			
书		. 3पर	रोक्त निर्वाचन में	उम्मीदवार इसके द्वारा
श्री				(नाम तथा पता)
को उपरोक्त निर्वाचन में आज	से अपना निर्वाचन अभिकत	के रूप में नियुक्त करत	ता हूं।	
स्थानं				
दिनांक		Name of the second	X	
			उम्मीदवार के ह	स्ताक्षर
मैं उपरोक्	त नियुक्ति को स्वीकार कर	ता हूं।		
			5	
स्थान				
			0.5	
दिनांक			निर्वाचन अभिक	तो के हस्ताक्षर

^{*} निर्वाचन के समुचित ब्योरे यहां निर्दिष्ट किए जाएं।

प्ररूप 2ख

[देखिए नियम ४०(२)(ख)]

गणन	अभिकर्ता की नियुक्ति	
नगर निगम	के* वार्डसे	सदस्य का निर्वाचन
सेवा में		
रिटर्निंग अधिकारी/प	ोठासीन अधिकारी,	

		.उम्मीदवार/**निर्वाचन
अभिकर्ताजो	उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार है, इसके द्वारा,	निम्नलिखित व्यक्तियो
कोमें मतगणना पर हाजिर रहने के लि	ए मुझे/उसके **गणना अभिकृता के रूप में निय्	युक्त करता हूं।
गणन अभिकर्ता का नाम	गणन अभिकर्ता का पता	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
इत्यादि		
स्थान		2 9
दिनांक	Care Care	
	उम्मीदवार/निर्वाचन अभिक	र्ता** के हस्ताक्षर
हम ऐसे गणन अभिकर्ताओं के रूप में कार्य क	रने के लिए सहमत हैं।	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
इत्यादि	गणन अभिकर्ता के हरता	क्षर
स्थान		
दिनांक		

रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

गणन अभिकर्ताओं की घोषणा

(रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित होनी चाहिए)

हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि उपरोक्त निर्वाचन में, हम हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की घारा 23 की उपघारा (1) तथा (2) के अधीन कुछ भी निषिद्ध नहीं करेंगे । जिसे हमने पढ़ लिया है/हमें पढ़ कर सुना दिया गया है ।

1.					
2.					
3.					
4.					
5.			-1/-	9	
6.					
इत्यादि		· PA	S WHO S		
				गणना अभिकर्ताओं के ह	स्ताक्षर
रथान				y • 1, 4 , 1	
दिनांक			10		
			CONTRACTOR	मेरे सामने हस्ताक्षर वि	ह्ये गरे

*निर्वाचन के समुचित ब्योरे निर्दिष्ट किए जायें।

**अनुपयुक्त विकल्प काट दें।

धारा 23 मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना.—(1) प्रत्येक अधिकारी अथवा लिपिक, अभिकर्ता अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो किसी चुनाव में मतों की रिकार्डिंग अथवा गणना करने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए परिकल्पित कोई सूचना (किसी विधि द्वारा अथवा के अधीन प्राधिकृत कुछ प्रयोजनों के सिवाय) नहीं मेजेगा।

2. कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबन्धों की उल्लंघन में जान बूझकर कार्य करता है, तो वह या तो जो तीन मास से अनिधक की अविध के लिए कारावास अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा । ''।

12. उक्त नियमों में, प्ररूप 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---

"प्ररूप 8

[देखिए नियम 63, 70प (2) (ग), 70फ (1) तथा 70(ब)(2)]

गणना किए गए मतपत्रों के समेकन लेखा का प्ररूप

गतदान केन्द्र संख्या	गतपेटी (पेटियों)/ इलैक्ट्रॉनिक	निविदत मतों की									कुल वैध मत	अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या	वैध तथा अस्वीकृति कुल मत
	मतदान मशीन (मशीनों) में पाये गये कुल मत	संख्या		A.	HIC	त्वार के	वध	+10	1				
			क	ख	ग	ម	ङ	च	छ	তা			
1	***			- 1	1								
2													
3				7) 2					
4				1	,		- 1						
5										١		7	
इत्यादि	1										* 4		
कुल		15 14							-				

स्थान	ži:		
दिनांक			रिटर्निंग अधिकारी ''।

13. उक्त नियमों में, प्ररूप 9 के बाद, अन्त में, निम्नलिखित प्ररूप जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"प्ररूप 10

[देखिए नियम 70 ढ (1)]

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

नगर निगमके वार्ड संख्या	का निर्वाचन।
सेवा में	
रिटर्निंग अधिकारी,	
वार्ड संख्या	
श्रीमान् जी,	
में उपरोक्त वार्ड के आगामी निर्वाचन में निजी रूप में अपना मत डालना चाहता हूं।	मेरा नाम उपरोक्त वार्ड की निर्वाचक
नामावली के भाग संख्यामें क्रमांक संख्या	पर दर्ज है।
में वार्ड संख्याके मतदान केन्द्र संख्या	मतदान
केन्द्र का नामपर निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किया गया हूं।	
में अनुरोध करता हूं कि मुझे प्ररूप 12 में मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र मतदान केन्द्र	जहां पर मैं मतदान के दिन महदान
ड्यूटी पर रहूंगा, में मतदान हेतु समर्थ बनाने के लिए जारी किया जाये। यह मुझे निम्ना	लेखित पते पर भेजा जाये :—
	भवदीय
दिनांक	(आवेदक का नाम)''

प्ररूप 11

[देखिए नियम ७०छ(१)(क), ७०ज(७), ७०ड, ७०त(१)(च) तथा ७०५(१)(इ), प्ररूप १७]

मतदाताओं का रजिस्टर

नगर निगम		के वार्ड संख्या	से निर्वाचन
	न्द्र की संख्या तथा नाम		
क्रम् संरथा	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या	निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान	टिप्पणी
1			
2			
3			
4			
5			

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

HARYANA GOVT. GAZ., DEC. 25, 2007 (PAUS. 4, 1929 SAKA)

प्ररूप 12

[देखिए नियम 70ढ(1)(क) तथा 70त(1)(ङ)]

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि	
पत्नी*वार्ड संख्या	
निर्वाचक नामावली संख्या	है, जोकि उसके निर्वाचन ड्यूटी पर
होने के कारण वह मतदान केन्द्र, जहां वह मत देने का हकदार है,	में मत देने में असमर्थ है और इसलिए इसके द्वारा उसे किसी
मतदान केन्द्र में, जहां वह मतदान की तिथि को ड्यूटी पर हो, म	नत देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
स्थान	रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक	मोहर
*समुचित ब्योरे दिये जायें।	

प्ररूप 13

[देखिए नियम 70ढ (४) (क) तथा (६) (ख) तथा (ग) तथा प्ररूप 16]

डाक मतपत्र के प्रयोग के लिये निर्वाचक द्वारा घोषणा

(इस तरफ का केवल तब प्रयोग किया जाना	है जब निर्वाचक स्वयं घोषणा पर हस्ताक्षर करता है)
नगर निगम सदस्य का निर्वाचन।	के *वार्ड संख्यासे
में इसके द्वारा घोषणा करता हं कि मैं वह निर्वाच	क हूं जिसे
	वाला डाक मतपत्र उपरोक्त निर्वाचन में जारी किया गया है।
दिनांक	, निर्वाचक के हस्ताक्षर
E Constitution of the cons	पता
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
हस्ताक्ष	र का सत्यापन
ज्या चीतन	[] (निर्वाचक) द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए
	(पहचानकर्ता) द्वारा
मेरी सन्तुष्टि के लिए पहचाना है जो व्यक्तिगत रूप में मुझ	
पहचानकर्ता के हस्ताक्षर	
यदि कोई हो	
पता	तसदीक अधिकारी के हस्ताक्षर
······································	नाम
	पता
	िनांक

HARYANA GOVT. GAZ., DEC. 25, 2007 (PAUS. 4, 1929 SAKA)

	(इस तरफ का तब प्रयोग किया जान	ा है जब निर्वाच	पक स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता)
क्रम संस	ख्या वाला डाक मतपत्र उपरोक्त निर्वाचन में जा	री किया गया ह	8 1
दिनांक			निर्वाचक की ओर से तसदीक अधिकारी के हस्ताक्षर
		ely =	निर्वाचक का पता
	- M2		
		प्रमाण पत्र	
		M-11-11-11	, its property
(*)	मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि-	F .	
(1)	उपरोक्त नामित निर्वाचक व्यक्तिगत रूप से मुझे मेरी सन्तुष्टि के लिए पहचाना है जो व्यक्तिगत	THE PERSON NAMED IN COLUMN	नसे(पहचानकर्ता) द्वारा जानता है।
(2)	मुझे विश्वास है कि निर्वाचक निरक्षर है जो करने में या अपनी घोषणा हस्ताक्षर करने में अ		वतता) से पीड़ित है और अपना मत स्वयं अभिलिखित
(3)	उसने मुझ से उसकी ओर से मतपत्र चिहिनत	करने और उप	र्युक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने की प्रार्थना की थी।
(4)	मैंने उसकी उपस्थिति में और उसकी इच्छा के	अनुसार उसर्क	ो ओर से मतपत्र चिहिनत और घोषणा हस्ताक्षरित की
	थी।		
पहचान	कर्ता के हस्ताक्षर यदि कोई हो	्री त	सदीक अधिकारी के हस्ताक्षर
		q.	दनाम
		e la les	
पता		ч	ता
	anananananananananan	17 1 m. 1 50 81	
		R	देनांक

प्ररूप 14

[देखिए नियम 70ढ (4) (ख) तथा (6) (क)]

लिफाफा "क"

	गणना से पूर्व नहीं खोला र	जाना है	
नगर निगम		के *वार्ड	 से
सदस्यों का निर्वाचन			
	डाक मतपंत्र		
डाक मतपत्र की क्रम संख्या			

प्ररूप 15

[देखिए नियम 70ढ (4) (ग)]

बड़ा लिफाफा "खं"

नगर निगमके *वार्डसे
सदस्यों के निर्वाचन में प्रयोग किया जाये।
लिकाफा ''खं'' सरकारी विना टिकट
प्रत्येक अधिकारी जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक मतपत्र भेजा जाता है वह अविलम्ब पते पर इसका
वित्तरण सुनिश्चित करेगा। [नियम 51क(4)]
निर्वाचन-अविलम्ब
डाक मतपत्र
नगर निगमके *वार्डके लिये
(गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है)
सेवा में
रिटर्निंग अधिकारी
**
भेजने वाले के हस्ताक्षर

^{&#}x27;रिटर्निंग अधिकारी यहां पर वार्ड के समुचित ब्योरे लिखें।

^{**}रिटर्निंग अधिकारी यहां पर पूरा पता वर्णित करें।

प्रारूप 16

[देखिए नियम 70ढ (४) (घ) तथा (६) (क) तथा (ग) तथा 70ब (१)]

डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए हिदायतें

नगर निगम	************	 	के	*वार्ड	 से
	1.00				
सदस्य का निर्वाचन।					

व्यक्ति जिन के नाम इसके साथ भेजे गये मतपत्र पर मुद्रित हैं वे उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हैं। यदि आप मत देना चाहते हो तो आप नीचे भाग-I में दिये गये निदेशों के अनुसार अपना मत अभिलिखित करेंगे तथा तब भाग-II में विस्तृत हिदायतों का अनुसरण करेंगे।

भाग-1

निर्वाचकों के लिए हिदायतें

- 1. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है।
- 2. आपका केवल एक मत है।
- 3. आपको एक से अधिक उम्मीदवार के लिए मत नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- 4. उम्मीदवार जिसको आप अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने स्पष्ट रूप से चिह्न लगाते हुए मत अभिलिखित करें।
- 5. चिह्न इस प्रकार लगाया जाएगा जो उम्मीदवार जिसको आप अपना मत दे रहे हैं को स्पष्ट रूप से सूचित करे तथा सन्देह के परे हो। यदि चिह्न इस प्रकार लगाया गया है जो उम्मीदवार जिसको आपने अपना मत दिया है को सन्देहपूर्ण बनाता है तो आपका मत अवैध हो जाएगा।
- 6. चिह्न जो मतपत्र पर आपको पैरा 4 के अनुसार उस पर करने अपेक्षित हैं, के सिवाय अपने हस्ताक्षर न करें या कोई शब्द न लिखें या कोई चिह्न न लगाएं, हस्ताक्षर या लिखित में कुछ भी न करें।
- 7. निर्वाचक प्ररूप-13 में घोषणा पर अपने हस्ताक्षरों का सत्यापन मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से करवाएगा, यदि वह निर्वचान ड्यूटी पर है तो किसी राजपत्रित अधिकारी से या मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी से जिस में वह निर्वाचन ड्यूटी पर है।

भाग-II

निर्वाचकों के लिए हिदायतें

- (क) आपको मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् मतपत्र को इसके साथ भेजे गये "क" चिह्नित छोटे लिफाफे में रखें। लिफाफे को बन्द कर दें और उसे मोहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर दें।
- (ख) इसके उपरान्त आप इसके साथ मेजी गई प्ररूप-13 में घोषणा भी मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकारी जो आपके हस्ताक्षर सत्यापन करने में सक्षम हो (देखिए उपरोक्त हिदायतें 7) की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हैं। घोषणा ऐसे अधिकारी के पास ले जाएं और उसकी आपकी पहचान के बारे में सन्तुष्टि होने के बाद उसकी उपस्थिति में इसे हस्ताक्षर करें। अधिकारी घोषणा पर आपके हस्ताक्षर सत्यापित करेगा तथा आपको लौटाएगा। आपको अपना मतपत्र तसदीक अधिकारी को न तो दिखाना है और न ही उसे बताना है कि आपने किस प्रकार मत दिया है।
- (ग) यदि आप निक्षरता, अन्धेपन या अन्य अशक्तता के कारण उपरोक्त सूचित रीति में स्वयं मतपत्र चिह्नित करने और अपनी घोषणा हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं तो आप मद (ख) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आपकी ओर से आपका मत चिह्नित करने और घोषणा हस्ताक्षरित करने के लिये हकदार हैं। ऐसा अधिकारी आपकी प्रार्थना पर आपकी उपस्थिति में और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र को चिह्नित करेगा। वह इस निमित आवश्यक प्रमाणपत्र भी पूरा करेगा।
- (घ) आपकी घोषणा हस्ताक्षरित किए जाने और आपके हस्ताक्षर मद (ख) या मद (ग) के अनुसार अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात् प्ररूप-13 में घोषणा, मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाले "क" चिह्नित छोटे लिफाफे, "ख" चिह्नित बड़े लिफाफे में रखें। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् उसे डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को भेज दें। आपको चिह्नित लिफाफे पर उपलब्ध स्थान पर पूरे हस्ताक्षर करने हैं। आप द्वारा कोई भी डाक टिकट लगानी आवश्यक नहीं है।
- (ভ) आप सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा चुनाव अधिकारी के पास.......**को......बजे से पूर्व पहुंच जाए।
- (च) कृपया यह भी घ्यान रखें कि :—
 - (i) यदि आप अपनी घोषणा उपरोक्त निर्दिष्ट रीति में अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा ; तथा
 - (ii) यदि लिफाफा रिटर्निंग अधिकारी के पास......कोको के पश्चात् पहुंचेगा तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी।

^{*}निर्वाचन के समुचित ब्योरे अन्त: स्थापित करें।

^{**}यहां मतगणना के प्रारंभ के लिए नियत समय और तिथि विनिर्दिष्ट करें।

प्ररूप 17

[देखिए नियम 70 थ (1), 70 द (1) (ii), 70 प (2) (क) तथा (ख), 70 फ (1)]

भाग 1-अभिलिखित मतों का लेखा

	नगर	निगमके निर्वाचन वार्ड संख्या
मतदान		की क्रम संख्या तथा नाम
	मतदा	न केन्द्र पर प्रयोग की गई मतदान मशीन की पहचान संख्या
		नियंत्रण यूनिट
		मतदान यूनिट
	1.	मतदान केन्द्र के नियत निर्वाचकों की कुल संख्या।
	2.	मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 11) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या।
	3.	नियम 70ड के अधीन मतदान अभिलिखित न करने के लिए निर्णायक मतदाताओं की संख्या।
	4.	नियम 70छ या 70ज के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या।
	5.	मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या।
	6.	क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या
		घटा-मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा- मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2-3-4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है।
	7.	उन मतदाताओं की संख्या जिनको निविदत मतपत्र नियम 56 के अधीन जारी किए गए थे।
	8.	निविदत मतपत्रों की संख्या।
		क्रम संख्या
		संतक
	(ক)	प्रयोग के लिए प्राप्त

(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए	
(ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए	गए
9. कागज की सीलों का लेखा	
क्रम संख्या	
से	तक
	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1. दी गई कागज की सीलों	1
की क्रम संख्यासे	2
तक	3
2. दी गई सीलों की कुल संख्या	4
3. प्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या	5
4. रिटर्निंग अधिकारी को वापस की	6
गई अप्रयुक्त कागज की सीलों की	7
संख्या (मद 3 में से मद 2 घटाइए)	
5. नष्ट हुई कागज की सीलों की क्रम	
संख्या, यदि कोई है।	
दिनांक	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
स्थान	मतदान केन्द्र संख्या

HARYANA GOVT. GAZ., DEC. 25, 2007 (PAUS. - , 1929 SAKA)

भाग II—मतगणना का परिणाम

क्रम संख्या	जम्मीदवार का	नाम	अभिलिखित मत	ों की संख्या	
1					
2	a				
2					* .
3		5) (a)	V 25		
4					
5		**		u .8	
6					
0					
कुल					
स्थान	होई विसंगति ध्यान में अ 		A		
स्थान					
दिनांक			गणन पर्यवेक्षक	के हस्ताक्षर	\$,
उम्मीदवार/निर्वाचन	। अभिकर्ता/गणन अभिक	र्ताओं के नाम			
	। अभिकर्ता/गणन अभिक	न्तिओं के नाम		e e	
पूरे हस्ताक्षर	। अभिकर्ता/गणन अभिक	र्ताओं के नाम			
	। अभिकर्ता/गणन अभिक	रतीओं के नाम			
पूरे हस्ताक्षर	। अभिकर्ता/गणन अभिक	र्जाओं के नाम			
पूरे हस्ताक्षर 1	। अभिकर्ता/गणन अभिक	र्जाओं के नाम			
पूरे हस्ताक्षर 1 2 3	। अभिकर्ता/गणन अभिक	ज्तिओं के नाम			
पूरे हस्ताक्षर 1 2 3 4	। अभिकर्ता/गणन अभिक	ज्तिओं के नाम			
पूरे हस्ताक्षर 1 2 3	। अभिकर्ता/गणन अभिक	र्जाओं के नाम			
पूरे हस्ताक्षर 1 2 3 4	। अभिकर्ता/गणन अभिक	र्जाओं के नाम			
पूरे हस्ताक्षर 1 2 3 4	। अभिकर्ता/गणन अभिक	र्जाओं के नाम			
पूरे हस्ताक्षर 1 2 3 4 5	। अभिकर्ता/गणन अभिक				

महा सिंह, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 19th December, 2007

- No. S. O. 123/H. A. 16/1994/S. 32/2007.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 32 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994) and in consultation with State Election Commission, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994, namely:—
- 1. These rules may be called the Haryana Municipal Corporation Election (Amendment) Rules, 2007.
- 2. In the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994 (hereinafter called the said rules), in rule 8, for the words "Magistrate of the First Class", the words "Gazetted Officer" shall be substituted.
- 3. In the said rules, after rule 15, the following rule shall be inserted, namely:—
- "15A. Identity cards for electors in notified constituencies.—With a view to prevent impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the State Election Commission may, by notification in the Official Gazette, direct that the Voter's Identity Card issued by the Election Commission of India shall be adopted for the Municipal Corporation elections in the State and the provisions of rules, instructions and orders made in this regard by the Election Commission of India, subject to such modifications as may be issued by the State Election Commission, shall be applicable for production by the electors at the time of poll of Municipal Corporation Election.".
- 4. In the said rules, in rule 21, in sub-rule (2), clauses (iv) and (v) shall be omitted.
- 5. In the said rules, after rule 24, the following rule shall be inserted, namely:—
- "24A. Form of affidavit to be filed at the time of delivering nomination papers.—The candidate or his proposer, as the case may be, shall, at the time of delivery of nomination papers to the Returning Officer or Assistant Returning Officer or before 10.00 A.M. on the date of scrutiny of nomination papers under sub-rule (1) of rule 24, also deliver to him affidavit sworn in by the candidate before a Magistrate of the first class or a Notary in the form as specified by the

State Election Commission.".

6. In the said rules, in rule 25, in sub-rule (1), for the existing table, the following table shall be substituted, namely:—

"Table

Amount of Deposit			
If the candidate is not a member of the Scheduled Caste, Backward Class or a Woman	If the candidate is a member of the Scheduled Caste, Backward Class or a Woman		
1	. 2		
Rs. 3000.00	Rs. 1500.00		

Provided that where a candidate has filed more than one nomination paper for election in the same ward, not more than one deposit shall be required of him under this sub-rule.".

- 7. In the said rules, in rule 28, sub-rules (6) and (7) shall be omitted.
- 8. In the said rules, after rule 40, the following rules shall be inserted, namely:—
- "40A. Appointment of election agent .—A candidate at an election may appoint an election agent in Form 2A and a notice of such appointment shall be given by forwarding the same in duplicate to the Returning Officer, who shall return one copy thereof to the election agent after affixing thereon his seal and signature in token of his approval of the appointment.
- 40B. Appointment of counting agent.—(1) A contesting candidate or his election agent may appoint not more than one counting agent in respect of each counting table at the place or at each of the places fixed for counting, to be present as his agents at the time of counting of votes of the ward in which he is a candidate.
- (2) Every appointment of counting agent shall be made in Form 2B and a copy thereof shall be forwarded to the Presiding Officer where the counting is to be made at the polling station itself and to the Returning Officer, in cases where the counting of all the votes polled at all the polling stations of a ward is to be made at one place. Another copy shall be made over to the counting agent for production before the Presiding Officer or the Returning Officer, as the case may be, not later than an hour before the time fixed for counting of votes.
- (3) No counting agent shall be admitted into the place fixed for counting unless he has delivered to the Presiding Officer or the Returning Officer, as the

HARYANA GOVT. GAZ., DEC. 25, 2007 (PAUS. 4, 1929 SAKA)

case may be, the second copy of his appointment under sub-rule (2) after duly completing and signing the declaration contained therein and receiving from the Presiding Officer or the Returning Officer an authority for entry into the place fixed for counting.".

- 9. In the said-rules, for rule 50, the following rule shall be substituted, namely:—
- "50. Voting by marking ballot papers or voting machines.—The voting shall be given by marking the ballot paper or by giving and recording of votes by voting machines, as the State Election Commission may, having regard to the circumstances of each case, specify.

Explanation.—For the purpose of this rule "voting machine" means any machine or apparatus whether operated electronically or otherwise used for casting or recording of votes and any reference to a ballot box or ballot paper in the Act or the rules made thereunder shall, save as otherwise provided, be construed as including a reference to such voting machine wherever such voting machine is used at any election."

- 10. In the said rules, after rule 70, the following rules shall be inserted, namely:—
- "70A. Voting and counting of votes by voting machines.—In relation to voting and counting of votes, custody, inspection and disposal of election papers etc., where voting machine is used, the provisions of rules in Part III, except the rules 36, 37, 39, 41, 44, 46, 51A, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 66 and 67, shall, in so far as may be, apply mutatis mutandis and any reference in those provisions to ballot paper shall be construed as including a reference to such electronic voting machine.
- 70B. Arrangement at polling station.—(1) There shall be displayed outside each polling station—
 - (a) a notice in Hindi specifying the polling area, the electors of which are entitled to vote at that polling station; and
 - (b) another notice in Hindi giving the names of each candidate in the same order in which the names of such candidates appear in the list of contesting candidates published under rule-31 together with the description of symbol which has been assigned to each candidate under rule 30.
- (2) At each polling station, there shall be set-up one or more voting compartments in which the voters can record their votes free from observation.
- (3) The Returning Officer shall provide at each polling station one electronic voting machine, copies of the relevant part of the electoral roll and such other articles and materials necessary for voters to vote.

- (4) Where a polling station is for both men and women, the Presiding Officer may direct that there shall be separate queue for men and women and that they may be admitted into the polling station alternatively in separate batches.
- 70C. Design of electronic voting machine.—Every electronic voting machine (hereinafter referred to as the "voting machine") shall have a control unit and a balloting unit and shall be of such design as may be approved by the State Election Commission.
- 70D. Preparation of voting machine by Returning Officer.—Subject to the provisions of rule 37, the Returning Officer shall—
 - (a) fix the ballot paper containing the names and symbols of the contesting candidates in the balloting unit and secure that unit with his seal and the seals of such of the contesting candidates or their election agents present as are desirous of affixing the same;
 - (b) set the number of contesting candidates and close the candidate set section in the control unit and secure it with his seal and the seals of such of the contesting candidates or their election agents present as are desirous of affixing the same.
- 70E. Preparation of voting machine for poll.—(1) For securing the control unit of voting machine, the Presiding Officer shall affix his own signature on the paper seal and obtain thereon the signatures of such of the candidates, election agents and polling agents present as are desirous of affixing the same.
- (2) The Presiding Officer shall thereafter fix the paper seal so signed in the space meant therefor in the control unit of voting machine and shall secure and seal the same.
- (3) The seal used for securing the control unit of voting machine shall be fixed in such manner that after the unit has been sealed, it is not possible to press the "result section" without breaking the seal.
- (4) Every control unit and balloting unit of the voting machine used at a polling station shall bear labels, both inside and outside marked with—
 - (a) the ward number and name of municipal corporation;
 - (b) the serial number and name of the polling station;
 - (c) the serial number of the unit; and
 - (d) the date of poll.
 - (5) Immediately before the commencement of the poll, the Presiding Officer

shall demonstrate to the polling agents and other persons present that no vote has been already recorded in the voting machine and it bears the labels as referred to in sub-rule (4).

- (6) The control unit shall then be closed, sealed and secured and placed in full view of the Presiding Officer and the candidates, election agents and polling agents present and the balloting unit placed in the voting compartment.
- 70F. Form of ballot paper.—(1) Every ballot paper shall be in such form as may be specified by the State Election Commission.
- (2) The names of the candidates shall be shown on the ballot paper in the same manner and arranged in the same order in which they appear in the list of contesting candidates.
 - (3) The particulars on the ballot paper shall be in Hindi in Devnagri script.
 - (4) The ballot papers shall be serially numbered.
- (5) The symbol allotted to the candidates under rule 30 shall be shown alongside the name of the candidates on the ballot paper.
- (6) The space allotted to each candidate on the ballot paper shall have the same dimension.
- (7) If two or more candidates bear the same name, they shall be distinguished by the addition of their occupation or residence or in some other manner.
- 70G. Procedure for voting by voting machines.— (1) Before permitting a voter to vote, the Polling Officer shall—
 - (a) record the electoral roll number of the elector as entered in the marked copy of the electoral roll in a register of voters in Form 11;
 - (b) obtain the signature or thumb impression of that voter on the said register of voters; and
 - (c) mark the name of the elector in the marked copy of the electoral roll to indicate that he has been allowed to vote:

Provided that no elector shall be allowed to vote unless he has put his signature or thumb impression on the register of voters.

(2) (a) Before permitting an elector to vote, the Presiding Officer shall cause a mark to be put on the left forefinger of the voter with an indelible ink: Provided that where such a mark already exists on the left forefinger of the elector, it shall be deemed that he had cast his vote already at the election and shall not be permitted to vote:

Provided further that no elector shall be allowed to vote unless he has allowed a mark to be put on his left forefinger with indelible ink.

- Any reference in clause (a) of this sub-rule to the left forefinger of an elector shall in the case where the elector has his left forefinger missing, be construed as a reference to any other finger of his left hand and shall in the case where all the fingers of his left hand are missing be construed as a reference to the forefinger of the right hand and shall, in case the fingers of both the hands are missing, be construed as a reference to such extremity of the left or right arm as he possesses.
- (3) It shall not be necessary for any Presiding Officer or Polling Officer or any other officer to attest the thumb impression of the voter on the register of voters.
- 70H. Procedure for voting and secrecy of voting.—(1) Every elector who has been permitted to vote under rule 70G shall maintain secrecy of voting within the polling station and for that purpose observe the voting procedure hereinafter laid down.
- (2) Immediately on being permitted to vote, the elector shall proceed to the Presiding Officer or the Polling Officer in charge of the control unit of the voting machine who shall, by pressing the appropriate button on the control unit, activate the balloting unit, for recording of the elector's vote.
 - (3) The elector shall, thereafter, forthwith—
 - (a) proceed to one of the voting compartments;
 - (b) record his vote by pressing the button on the balloting unit against the name and symbol of the candidate for whom he intends to vote; and
 - (c) come out of the voting compartment and quit the polling station.
 - (4) Every elector shall vote without undue delay.
- (5) No elector shall be allowed to enter a voting compartment when another elector is inside it.
- (6) If an elector who has been permitted to vote under rule 70G refuses after warning given by the Presiding Officer, to observe the procedure as laid down in sub-rule (3), the Presiding Officer or a Polling Officer under the direction of Presiding Officer shall not allow such elector to vote.

HARYANA GOVT. GAZ., DEC. 25, 2007 (PAUS. 4, 1929 SAKA)

- (7) Where an elector is not allowed to vote under sub-rule (6), a remark to the effect that voting procedure has been violated, shall be made against the name of the voter in the register of voters in **Form 11** by the Presiding Officer under his signature.
- 70I. Presiding Officer's entry in the voting compartment during poll.—
 (1) The Presiding Officer may, whenever he considers it necessary to do so, enter the voting compartment during poll and take such steps as may be necessary to ensure that the balloting unit is not tampered or interfered with in any way.
- (2) If the Presiding Officer has reason to suspect that an elector who has entered the voting compartment, is tampering or otherwise interfering with the balloting unit or has remained inside the voting compartment for unduly long period, he shall enter the voting compartment and take such steps as may be necessary to ensure the smooth and orderly progress of the poll.
- (3) Whenever the Presiding Officer enters the voting compartment under this rule, he shall permit the polling agents present to accompany him if they so desire.
- 70J. Recording of votes by blind or infirm electors.—(1) If the Presiding Officer is satisfied that owing to blindness or other physical infirmity, an elector is unable to recognise the names and symbols of the candidates on the balloting unit of the voting machine or unable to record the vote by pressing the appropriate button thereon without assistance, the Presiding Officer shall permit the voter to take with him a companion of not less than eighteen years of age to the voting compartment for recording the vote on his behalf and in accordance with his wishes:

Provided that no person shall be permitted to act as the companion of more than one voter at any polling station on the same day:

Provided further that before any person is permitted to act as the companion of an elector on any day under this rule, the person shall be required to declare that he shall keep secret the vote recorded by him on behalf of the elector and that he has not already acted as the companion of any other voter at any polling station on that day.

- (2) The Presiding Officer shall keep a record in Form 4 of all cases under this rule.
- 70K. Identity of voter.—At any time before permitting the elector to vote, the Presiding Officer or Polling Officer may, of his own accord, if he has reason to doubt the identity of the elector or his right to vote at such polling station he shall, if so required by a candidate or polling agent, satisfy himself by putting to the voter such questions as he may deem necessary that such person is identical with the elector to whom such entry relates.

- 70L. Tendered votes.—(1) If a person representing himself to be a particular voter seeks to vote after another person has already voted as such voter he shall, on satisfactorily answering such question relating to his identity as the Presiding Officer may ask, be instead of being allowed to vote through the balloting unit, supplied with a tendered ballot paper which shall be of such design as the State Election Commission may specify.
- (2) Every such person shall, before being supplied with a tendered ballot paper, write his name against the entry relating to him in the list in Form 5.
 - (3) On receiving the ballot paper he shall forthwith :-
 - (a) proceed to the voting compartment;
 - (b) record there his vote on the ballot paper by placing a cross mark 'X' with the instrument or article supplied for the purpose on or near the symbol of the candidate for whom he intends to vote;
 - (c) fold the ballot paper so as to conceal his vote;
 - (d) show to the Presiding Officer, if required, the distinguishing mark on the ballot paper;
 - (e) give it to the Presiding Officer who shall place it in a cover specially kept for the purpose; and
 - (f) leave the polling station.
- (4) If owing to blindness or physical infirmities, such elector is unable to record his vote without assistance, the Presiding Officer shall permit him to take with him a companion, subject to the same conditions and after following the same procedure as laid down in rule 70G for recording the vote in accordance with his wishes.
- 70M. Elector deciding not to vote.—If an elector, after his electoral roll number has been duly entered in the register of voters in Form 11 and has put his signature or thumb impression thereon as required under sub-rule (1) of rule 70G, decides not to record his vote, a remark to this effect shall be made against the said entry in Form 11 by the Presiding Officer and the signature or thumb impression of the elector shall be obtained against such remark.
- 70N. Voting by officers on election duty.—(1) An elector who has been put on election duty as a Presiding Officer, a Polling Officer or in any other capacity in a polling station of a ward other than the one in which he is entitled to vote, and wishes to vote in the polling station in which he is on election duty, he shall send an application in Form 10 to the Returning Officer to allow him to vote at the polling station at which he is on duty, atleast ten days before the days

fixed for poll, and if the Returning Officer is satisfied that the applicant is a public servant and voter on election duty, he shall—

- (a) issue to the applicant an Election Duty Certificate in Form-12;
- (b) mark Election Duty Certificate against his name in the marked copy of the electoral roll to indicate that an Election Duty Certificate has been issued to him; and
- (c) ensure that he is not allowed to vote at the polling station where he shall otherwise have been entitled to vote.
- (2) On production of such certificate, the Presiding Officer shall—
 - (a) obtain thereon, the signature of the person producing it;
 - (b) have the person's name and electoral roll number and part number, along with name of polling station as mentioned in the certificate, entered at the end of the marked copy of the electoral roll; and
 - (c) permit him to cast his vote in the same manner as for a voter entitled to vote at that polling station.
- (3) After recording the vote under sub-rule (2), the certificate referred to in sub-rule (1) shall be placed in an envelope and sealed by the Presiding Officer.
- (4) An elector who has been put on election duty as a Presiding Officer, a Polling Officer or in any other capacity in a ward other than the one of which he is voter, who wishes to vote by post at an election, shall send an application in Form 9 to the Returning Officer of the Constituency (Ward) in which he is enrolled for supply of postal ballot paper at least ten days before the days fixed for poll, and if the Returning Officer is satisfied that the applicant is on election duty in a ward other than of which he is a voter, he shall issue a postal ballot paper of such ward to him by post, under postal certificate, together with—
 - (a) a declaration in Form 13;
 - (b) a cover in Form 14;
 - (c) a larger cover in Form 15; and
 - (d) instructions for the voter in Form 16:

Provided that the Returning Officer shall at the same time—

(a) record on the counterfoil of the postal ballot paper the electoral roll number of the voter entered in the marked copy of the electoral roll;

- (b) mark the name of voter in the marked copy of electoral roll to indicate that a postal ballot paper has been issued to him, without however recording therein the serial number of postal ballot paper issued to that voter; and
- (c) ensure that voter is not allowed to vote at a polling station:

Provided further that every postal ballot paper shall have a counterfoil attached thereto, and the postal ballot paper and the counterfoil shall be of such design as the State Election Commission may direct:

Provided further that the Returning Officer may, in the case of an elector on election duty who is entitled to vote by post, deliver the ballot papers and forms or cause them to be delivered to such elector personally.

- (5) The Returning Officer shall seal up in a separate packet the counterfoils of the postal ballot papers issued to voters.
 - (6) (a) The voter referred to in sub-rule (4) shall record his vote on the postal ballot paper in accordance with the directions contained in Form 16 and then enclose it in the cover in Form 14.
 - (b) The voter shall sign the declaration in Form 13 in the presence of, and have the signature attested by any Gazetted Officer or by the Presiding Officer of the polling station at which he is on election duty.
 - (c) After the voter has recorded his vote and made a declaration in Form 13, he shall return the postal ballot paper and declaration to the Returning Officer in accordance with the directions contained in Form 16 so as to reach the Returning Officer before the time fixed for the commencement of counting of votes.
- (7) In relation of voting by postal ballot paper referred to in sub-rule
 (4) such procedure, subject to provisions of this rule, shall be adopted as may be specified by the State Election Commission.
- 70O. Sealing of voting machine after close of poll.— (1) As soon as practicable, after the closing of the poll, the Presiding Officer shall close the control unit to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit.
- (2) The control unit and the balloting unit shall thereafter be sealed and secured separately in such manner as the State Election Commission may direct and the seal used for securing them shall be so fixed that it shall not be possible to open the units without breaking the seals.

- (3) The polling agents or election agents or candidates present at the polling station, who desire to affix their seals, shall also be permitted to do so.
- 70P. Sealing of polling materials and other papers.—(1) The Presiding Officer of each polling station, as soon as practicable after the close of the poll, shall in the presence of any candidate or election agent or polling agent who may be present make up into separate packet and seal with his seal and the seal of such candidates or agents as may desire to affix their seals on the envelopes of the following:—
 - (a) the marked copy of the electoral roll;
 - (b) the tendered ballot papers;
 - (c) the list of tendered votes;
 - (d) the list of challenged votes;
 - (e) the certificate in Form 12 produced by officers on election duty;
 - (f) the register of voters in Form 11; and
 - (g) any other papers directed by the State Election Commission to be kept in a sealed packet.
- (2) The Presiding Officer shall, after sealing all the packets, endorse on such packet a declaration of its contents.
- 70Q. Accounts of votes recorded.—(1) The Presiding Officer shall at the close of the poll, prepare an account of votes recorded in Form 17.
- (2) The Presiding Officer shall place the account of votes recorded in a separate envelope and endorse on it the words, "Account of Votes Recorded".
- 70R. Transmission of voting machines etc. to the Returning Officer.—
 (1) The Presiding Officer shall then deliver or cause to be delivered to the Returning Officer at such place as the Returning Officer may direct—
 - (i) the voting machine;
 - (ii) the account of votes recorded in Form 17;
 - (iii) sealed packets under rule 70P; and
 - (iv) all other papers used at the poll.
- (2) The Returning Officer shall make adequate arrangements for the safe transport of the voting machine, packets and other papers and for their safe custody until the conclusion of the counting of votes.

- 70S. Procedure of adjournment of poll.—If the poll at any polling station is adjourned and declared void under rule 59, the provisions of these rules shall apply to every fresh poll as they apply to the original poll.
- 70T. Scrutiny and inspection of voting machines.—(1) The Returning Officer may have the control units of the voting machines used at more than one polling station taken up for scrutiny and inspection and votes recorded in such units counted simultaneously.
- (2) Before the votes recorded in any control unit of a voting machine are counted under sub-rule (1), the candidate or his election agent or his counting agent present on the counting table, shall be allowed to inspect the paper seal and such other vital seals as might have been affixed on the unit and to satisfy themselves that the seals are intact.
- (3) The Returning Officer shall satisfy himself that none of the voting machines has, in fact, been tampered with.
- (4) If the Returning Officer is satisfied that any voting machine has, infact, been tampered with, he shall not count the votes recorded in that machine and shall follow the procedure laid down in rule 59, in respect of the polling station where that machine was used.
- 70U. Counting of votes.—(1) After the Returning Officer or the Presiding Officer, as the case may be, is satisfied that a voting machine has, infact, not been tampered with, he shall have the votes recorded therein counted by pressing the appropriate button marked "Result" provided in the control unit whereby the total votes polled and votes polled for each candidate shall be displayed in respect of each such candidate on the display panel provided for the purposes in the unit.
- (2) As the votes polled by each candidate are displayed on the control unit, the Returning Officer shall have:—
 - (a) the number of such votes recorded separately in respect of each candidate in Part II of Form 17.
 - (b) Part-II of Form 17 completed in other respects and signed by the Presiding Officer or the counting supervisor and also by the candidates or their election agents or their counting agents present; and
 - (c) corresponding entries made in a result sheet in Form 8 and the particulars so entered in the result sheet announced.
- (3) No envelope containing the tendered ballot papers shall be opened and no such votes shall be counted.
- 70V. Sealing of voting machines after counting of votes.—(1) After the result of votes recorded in a control unit has been ascertained candidatewise and

entered in Part II of Form 17 and Form 8 under rule 70U, the Presiding Officer/Returning Officer shall reseal the unit with his seal and the seals of such of the candidates or their election agents present who may desire to affix their seals thereon so, however, that the result of votes recorded in the unit is not obliterated and the unit retains the memory of such result.

- (2) The control unit so sealed shall be kept in specially prepared boxes on which the Returning Officer shall record the following particulars, namely:—
 - (a) the name of the municipality with ward number;
 - (b) the particulars of polling station where the control unit has been used;
 - (c) serial number of the control unit;
 - (d) date of poll; and
 - (e) date of counting.

70W. Counting and rejection of postal ballot paper.— (1) Subject to general or specific direction given in this behalf by the State Election Commission, the provisions of rule 60 shall apply in relation to rejection of postal ballot papers referred to in sub-rule (4) of rule 70N:

Provided that postal ballot paper shall be rejected if recording of vote therein is not in accordance with the direction contained in Form 16.

- (2) The Returning Officer shall record the result of counting of votes received by post, if any, in the result sheet in Form 8 and announce the same.
- 70X. Production and inspection of election papers.— (1) While in the custody of the Deputy Commissioner:—
 - (a) the packets of unused postal ballot papers with counterfoils attached thereto;
 - (b) the packets of used postal ballot papers whether valid, rejected or cancelled, and counterfoils thereof;
 - (c) the packets of used or unused tendered ballot papers;
 - (d) the packets of the marked copy of electoral roll;
 - (e) the packets containing register of voters in Form 11;
 - (f) the packets of the declaration by electors and the attestation of their signatures,

shall not be opened, inspected or produced except under the orders of a competent court.

- (2) The voting machine sealed under rule 70V and kept in the custody of the Deputy Commissioner shall not be opened, inspected or produced except under the orders of a competent court.
- (3) Subject to such conditions and on the payment of such fee as the State Election Commission may direct, all other papers relating to the election shall be open to public inspection and copies thereof shall, on application, be furnished.
- 70Y, Disposal of election papers.—Subject to any direction to the contrary given by the State Election Commission or by a competent court—
 - (a) the packets of unused postal ballot papers and tendered ballot papers shall be retained for a period of six months and shall thereafter be destroyed in such manner as the State Election Commission may direct;
 - (b) the voting machines kept in custody of the Deputy Commissioner under sub-rule (2) of rule 70X shall be retained intact for such period as the State Election Commission may direct;
 - (c) packets other than those as referred to in sub-rule (1) of rule 70X shall be retained for a period of one year and shall thereafter be destroyed:

Provided that the packets containing the counterfoils of used postal ballot papers shall not be destroyed except with the previous approval of the State Election Commission; and

(d) all other papers relating to the election shall be retained for such period as the State Election Commission may direct.".

11. In the said rules, after Form 2, the following forms shall be inserted, namely :---

"FORM 2A

[See rule 40A]

APPOINTMENT OF ELECTION AGENT

the	al Corporation*Ward.
The Returning Officer	
Iint Sh	a candidate at the above election do hereb [Name and Address] a
election agent from this day at the	
nection agent hom and any	above election.
e	
e	
e	Signature of Candidat
e	Signature of Candidat
e	Signature of Candidat
e	Signature of Candidate

^{*-}Appropriate particular of the election to be indicated here.

FORM 2B

[See rule 40B (2)]

APPOINTMENT OF COUNTING AGENT

	Election of Member to the Municipal	Corporation of	
from		Ward.	
То			*
	The Returning Officer/Presiding Office	cer,	
		800004E	
			*
	And the second s	*	. 19
	T.	a candidate	e/**the election agent
of	Iwho is a cand	idate at the above election he	ereby appoint the following
	ns as my/his** counting agents to attend	I the counting of votes at	
		111 FA - C-	
	Name of the Counting Agent	Address of the Cour	nung Agent
1			
2			8
3			
4			
5			
6			
etc.		× 3 3	
Place			
			Signature of Candidate/
			Election Agent**
	We agree to act as such Counting Agen	ts.	
1			
2			
3			
4			
5			
6	#2 J		
etc.			×
Place			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Date_		Signatu	re of the Counting Agents

DECLARATION OF THE COUNTING AGENTS

(To be signed before the Returning Officer/Presiding Officer)

We hereby declare that at the above election, we shall not do anything forbidden under subsections (1) and (2) of section 23 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), which we have read/has been read over to us.

		*		Signed before me	
Date	 			Signature of Counting Age	nts
Place	 		W.m	2 200 18 000000 10 0	
etc.				R	
6					
5					
4					
3					
2					

Signature of the Returning Officer/ Presiding Officer

Section 23—(1) Every officer or clerk, agent or other person who performs any duties in connection with the recording or counting votes at an election shall maintain an aid in maintaining the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorized by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.

(2) Any person who willfully acts in contravention of the provisions of this section shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding three months, or with fine, or with both."

^{*—}Appropriate particulars of the Election to be inserted.

^{**—}Strike off the inappropriate alternative.

12. In the said rules, for form 8, the following form shall be substituted, namely :-

"FORM 8

[See rules 63, 70U(2) (c), 70V(1) and 70W (2)]

FORM OF CONSOLIDATION OF ACCOUNT OF THE COUNTED BALLOT PAPERS.

Polling Station No.	Total Votes found in the ballot box(es)/ EVM(s)	Number of tendered votes		Candidate's valid votes					Valid votes total	Number of rejected ballot papers	Valid and rejected votes total.		
			A	В	С	D	E	F	G	Н			
1													
2													
3													
4				`									
5													-
Etc.													
Total													
							19						
				O.							_		Officer"

13. In the said rules, after Form 9, the following forms shall be added at the end, namely:—

"FORM 10

[See rule 70N(1)]

APPLICATION FOR ELECTION DUTY CERTIFICATE

F	Election to the Municipal Corporat	ion	of	
	Number			
То				
- 0	•			
7	The Returning Officer,			
1	Ward Number		E I	
Sir,		*		# 10 13 140
is enter	intend to cast my vote in person ed at Serial Number	at the ensuing election in part No.	to the above wa	rd. My name f the electoral
	the above Ward.			
	W a			
]	have been posted on election d	luty at Polling Station	Number	
Polling	Station Name	of Ward Number	-	-
				1
-]	request that an Election Duty Cert	duty on the polling day	be issued to enab	to me at the
	polling station where I shall be on ng address:—	duty on the poining da	y. It may be sent	to me at the
IOHOWI	ing address			
		W	= 1/2	
		_		
		- "		
	260			
			Yours	faithfully,
				www.e-enciryon.com/enciryon.en
			100 mm	gs Halland
Date			(Applica	int's name)".

[See rules 70G, 70H(7), 70M, 70P(1) (f) and 70X (1) (e), Form 17]

REGISTER OF VOTERS

Election to	the Municipal Corporation	from Ward No.	A
Number and	d Name of Polling Station		-
Part No. of	f Electoral Roll		
Serial Number	Serial number of elector in the electoral roll	Signature/thumb impression of elector	Remarks
1			
2	12 (H)	a,	
3			
4			
5	18	. U	
etc	ti		

Signature of the Presiding Officer

[See rules 70N(1)(a) and 70P(1)(e)]

ELECTION DUTY CERTIFICATE

S/o/ D/o/ W/o	is
an elector in the	*Ward,
his electoral roll number being	that by reason
of his being on election duty, he is unable to vote at the p vote and as such is hereby authorized to vote at any pollin date of poll.	olling station, where he is entitled to ng station, he may be on duty on the
SECTION TO SECTION OF SEC	
100	
Diagram	*
Place	
Place	Signature of Returning Officer
	Signature of Returning Officer

^{*—}Appropriate particulars to be inserted.

[See rules 70N(4)(a) and (6)(b) and (c) and Form 16]

DECLARATION BY ELECTOR FOR USE OF POSTAL BALLOT PAPER

(This side is to be used only when the elector signs the declaration himself)

the	the Municipal Corporati	ion offrom *Ward.
	am the elector to whom	m the postal ballot paper bearing serie
w w	-	
Date		Signature of the Elector
		Address
		8.0
The above has been signal	gned in my presence by	(elector) who
personally known to me/has bee who is personally known to m		ction by(identifie
Signature of the Identifier		Signature of the Attesting Officer,
Signature of the Identifier If any		Signature of the Attesting Officer, Designation

HARYANA GOVT. GAZ., DEC. 25, 2007 (PAUS. 4, 1929 SAKA)

-	(This side is to	be used when t	he elector cannot sign himself)
			or to whom the postal ballot paper bearing ssued at the above election.
Date			Signature of Attesting Officer
5			On behalf of Elector
			Address of Elector
			2.6
		CERTII	FICATE
(1)	satisfaction by I am satisfied that	the elector is illiter	onally known to me/has been identified to my(identifier) who is personally known to me; ate/suffers from(infirmity) himself or sign his declaration;
(3)	I was requested be on his behalf; and		ne ballot paper and to sign the above declaration
(4)	The ballot paper presence and in		he declaration signed by me on his behalf in his his wishes.
Signature o	f the Identifier		Signature of the Attesting Officer,
If any			Designation
			Address
		-	

[See rule 70N(4)(b) and (6)(a)]

COVER "A"

COVER A	
NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING	7 8
Election of Members to the Municipal Corporation of	from
the*Ward.	
POSTAL BALLOT PAPER	
Serial Number of ballot paper	
Serial Number of Danot paper	

[See rule 70N(4)(c)]

LARGE COVER "B"

COVER	"B"			SERVICE UNPAIL
		e care or through s without delay.		ot paper is sent shal
	E	LECTION-IMM	EDIATE	
	-			
Postal B	allot Paper			40
				*Ward o
FOI	Corporation of			With a company of the
ne municipai	Corporation of			
	(NOT TO B	E OPENED BEI	FORE COUNTING)
То				
	The Returning	Officer		* *
	**			
			•	

- * Returning Officer to insert here the appropriate particulars of the Ward.
- ** Returning Officer to mention here the full address.

[See rules 70N (4)(d) and (6)(a) and (c) and 70W(1)]

INSTRUCTION FOR THE GUIDANCE OF ELECTORS FOR USE OF POSTAL BALLOT PAPER

	Election of Members to the Municipal Corporation of
	*Ward.
	The person whose names are printed on the ballot paper sent herewith are candidates a
the	above election. If you desire to vote you shall record your vote in accordance with the

PART I

directions given in Part-I below and then follow the instructions detailed in Part-II.

DIRECTIONS TO ELECTORS

- 1. The number of members to be elected is one.
- 2. You have only one vote.
- You must not vote for more than one candidate. If you do so your ballot paper shall be rejected.
- Record the vote by placing clearly a mark opposite the name of the candidate to whom you
 wish to give that vote.
- 5. The mark shall be so placed as to indicate clearly and beyond doubt to which candidate you are giving your vote. If the mark is so placed as to make it doubtful to which candidate you have given the vote, that vote shall be invalid.
- 6. Do not put your signature or write any word or make any mark, sign or writing whatsoever on the ballot paper other than the mark which you are required to make thereon in accordance with paragraph 4.
- 7. An elector shall obtain the attestation of his signature on the declaration in Form 13 by a Magistrate or a Gazetted Officer, if he is on election duty, by any Gazetted Officer or by the Presiding Officer of the polling station in which he is on election duty; and

PART II

INSTRUCTIONS FOR ELECTORS

- (a) After you have recorded your vote on the ballot, place the ballot paper in the smaller cover marked "A" sent herewith. Close the cover and secure it by seal or otherwise.
- You have then to sign the declaration in Form 13 also sent herewith in the presence of a Magistrate or any other Officer competent to attest your signature (see direction 7 above). Take the declaration to any such Officer and sign it in his presence after he has been satisfied about your identity. The Officer shall attest your signature and return the declaration to you. You must not show your ballot paper to the Attesting Officer nor tell him how you have voted.
- (c) If you are unable to mark the ballot paper and sign the declaration yourself in the manner indicated above by reason of illiteracy, blindness or other infirmity you are entitled to have your vote marked and the declaration signed on your behalf by any Officer referred to in item (b). Such an Officer shall at your request mark the ballot paper in your presence and in accordance with your wishes. He shall also complete the necessary certificate in this behalf.
- (d) After your declaration has been signed and your signature has been attested in accordance with item (b) or item (c) place the declaration in Form 13 as also the smaller cover marked "A" containing ballot paper, in the larger cover marked "B". After closing the larger cover, send it to the Returning Officer by post or by messenger. You have to give your full signature in the space provided on the cover marked "B". No postage stamp need be affixed by you.

:)	You	must ensure that the cover reaches the Returning Officer before	**
)	Pleas	se note that :	
	(i)	If you fail to get your declaration attested or certified in the manner indicated at your ballot paper shall be rejected; and	ove

^{* -} Appropriate particulars of the election to be inserted.

^{** -}Here specify the hour and date fixed for the commencement of counting of votes.

[See rules 70Q(1), 70R(1)(ii), 70U(2)(a) and (b), 70V(1)]

PART-I—ACCOUNT OF VOTES RECORDED

Elect	tion to	the Municipal Corporation					
From	n Ward	Number					
Num	iber an	d Name of Polling Station					
Ident	tificatio	on Number of Voting Machine used at the Polling	Statio	on			
		Control Unit					
		Balloting Unit					
1.	Total	Number of electors assigned to the Polling Statio	n.				
2.	Total	Number of voters entered in the Register of Voter	rs (Fo	rm 11)		
3.	Num	ber of voters deciding not to record votes under ru	ıle 70	M			
4.	Num	ber of voters not allowed to vote under rule 70G of	or 701	F			
5.	Total	Number of votes recorded as per voting machine.					
6.	voter	ther the total Number of votes as shown against item is as shown against item 2 minus Numbers of vote list item 3 minus Number of voters as against item 4	ers de	ciding	not to r	ecord v	otes as
7.	Num	ber of voters to whom tendered ballot papers were	issue	d und	er rule 50	6.	
8.	Num	ber of tendered ballot papers.					
					Ser	ial nun	iber
				520	From		То
	(a)	received for use					
	(b)	issued to electors					
	(c)	not used and returned				~	
9.	Acco	ount of paper seals					
		Serial numbers			,		
	From	То		Sign	ature of I	Polling	Agents
		e e					F .
1.	Serial	number of paper seals supplied.	1.				
	From_	to	2.		,		

	HARYANA GOVT. GAZ., YE (PAUS. 4, 1929 SAF		2007		1133
2.	Total numbers supplied.	3.			
3.	Number of paper seals used.	4.			
4.	Number of unused paper seals returned to Returning Officer (Deduct item 3 from item 2).	5. 6.			*
5.	Serial number of damaged paper seal, if any.	7.	1		
Dat	e		Signature	of Presi	ding Officer

S. No.	Name of Candid	ate	No. of vot	es recorded
1				
2				
3				
1				
5				
5				
Total				
Place				
AND ALL OF THE PROPERTY.				
Place				
			Clarature of C	minting /Supervices
Date			Signature of C	ounting /Superviso
	ate/election agent/cou	nting agents		Ounting /Superviso
		nting agents		
Name of Candida		nting agents		
Name of Candida		nting agents		
Name of Candida		nting agents		
Name of Candida		nting agents		
Name of Candida 1 2 3		nting agents		
Name of Candida 1 2 3		nting agents		
Name of Candida 1 2 3 4 5		nting agents		
Name of Candida 2 3 4 5		nting agents		
Name of Candida 1 2 3 4 5		nting agents		
Name of Candida		nting agents		

MAHA SINGH,

Commissioner and Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.